संख्या-89/2018/3231 ई-2/तेरह-2018-119/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

विषय:-आगरा मण्डल, आगरा के जनपद आगरा में गठित बार समिति के उपरान्त बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति की सूचना भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-729/आगरा मण्डल/आगरा/बार अनु0/2018-19, दिनांक 30 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 14-5-2018 एवं 11-6-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-111/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/थोर द पार्टी वर्ल्ड/आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018, पत्र संख्या-जी-112/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल गायत्री/आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी-113/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल द रिट्रीट/आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) थोर द पार्टी वर्ल्ड (होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट), 83 नूर एन्क्लेव, शमशाबाद लिंक रोड, ताजनगरी फेस-1, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन, (2) होटल गायत्री रेजीडेन्सी, ए-57, ताजनगरी, फेस-2, फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन, (3) होटल द रिट्रीट, आर0के0जी0 इन्फ्राटेक कम्पनी, 25 टी/65ए/2, ताजनगरी फेस-1, नियर प्रतीक एन्क्लेव, शिल्पग्राम रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि बार अनुज्ञापन की पार्किंग के एग्रीमेन्ट को समस्त सम्बन्धित द्वारा समयानुसार निरन्तर नवीनीकृत कराया जाता रहेगा तथा प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-89/2018/3231(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-111/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/थोर द पार्टी वर्ल्ड/आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018, पत्र संख्या-जी-112/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल गायत्री/ आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी-113/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/होटल द रिट्रीट/आगरा, दिनांक 20 सितम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।